रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2006/श्रावण 12, 1928
No. 351] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2006/SRAVANA 12, 1928

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 459(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में—

(i) नियम 6 के उप-नियम (1) में खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु कोई फिल्म या फिल्मी गीत या फिल्म प्रोमो या फिल्म ट्रेलर या संगीत वीडियो या संगीत एलबम अथवा उनके प्रोमो, चाहे भारत में बने हों या विदेश में, केबल सेवा के मार्फत् तब तक नहीं दिखाया जाएगा जब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा, इसे भारत में अनिर्बन्धित लोक प्रदर्शन के लिए यथा उपयुक्त प्रमाणीकृत नहीं कर दिया जाता है।"

(ii) नियम 7 में उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(9) कोई ऐसा विज्ञापन, जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् मुंबई द्वारा समय-समय पर यथा अंगीकृत विज्ञापन की स्वत: विनियमन संहिता का अतिक्रमण करता है, केबल सेवा में नहीं दिखाया जाएगा।"

[फा. सं. 2302/1/2001-बीसी-III(भाग)]
एन. बैजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996 और सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितंबर, 2000 तथा सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11 मई, 2006 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2006

G.S.R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994—

(i) in rule 6, in sub-rule (1) after clause (o) the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no film or film song or film promo or film trailer or music video or music albums or their promos, whether produced in India or abroad, shall be carried through cable service unless it has been certified by the Central Board of Film Certification (CBFC) as suitable for unrestricted public exhibition in India."

(ii) in rule 7, for sub-rule (9) the following shall be substituted, namely :—

"(9) No advertisement which violates the Code for self-regulation in advertising, as adopted by the Advertising Standard Council of India (ASCI), Mumbai for public exhibition in India, from time to time, shall be carried in the cable service."

[F. No. 2302/1/2001-BC-III (Part)]

N. BAIJENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 729(E), dated the 29th September, 1994 and subsequently amended by GSR 459(E), dated the 8th October, 1996 and GSR 710(E), dated the 8th September, 2000 and GSR 282(E), dated the 11th May, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.